



निविदा विज्ञापन

परिशिष्ट – दो (नियम 4.4.2)

निविदा प्रकाशन बाबत

निविदा विज्ञापित क्रमांक 789

जशपुर, दिनांक 13/02/2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर की ओर से निर्माता/अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं से जिला जशपुर के स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए संबंधित फर्निचर सामग्री/उपकरण क्रय करने हेतु 2019-20 के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) प्रति निविदा फार्म रु. 500/- (अक्षरी-रु. पांच सौ मात्र) का **District Mineral Fund CMHO Jashpurnagar** के नाम पर बैंक ड्राफ्ट भुगतान कर निविदा प्रकाशन के दिनांक से 08.03.2019 तक दोपहर 5.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि – 08.03.2019 दोपहर 5.00 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 09.03.2019 दोपहर 2.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि – 09.03.2019 सायं 4:00 बजे

स्थान :- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जशपुर (छ.ग.)

नोट- निविदा संबंधी जानकारी jashpur.nic.in में भी अवलोकन किया जा सकता है। निविदा फार्म भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा निविदा जमा करते समय 500 रु का डी.डी. **District Mineral Fund CMHO Jashpurnagar** के नाम पर जमा करना अनिवार्य होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला-जशपुर(छ.ग.)



निविदा क्र. 791 / एन.एच.एम. / डी.एम.एफ. / 2019-20 जशपुर दिनांक 13 / 02 / 2020

निविदा के शर्तें एवं नियम

- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-जशपुर के स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली उपकरण/सामग्री/ फर्निचर की खरीदी हेतु निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं/पंजीकृत फर्म से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।
- निविदाकर्ता / फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- उपकरण/सामग्री/फर्निचर के लिए अधिकृत विक्रेताओं को निर्माता कंपनी का अथॉरिटी लेटर मूल रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जशपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदा कार्यालय में दिनांक **09.03.2019** को दोपहर **2.00** बजे तक पंजीकृत डाक, कोरियर अथवा स्पीड पोस्ट से पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदा दिनांक **09.03.2019** को **4.00** बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जाएगी। निविदादाता के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। विलंब के लिए यह कार्यालय जवाबदार नहीं रहेगा। निविदा को अलग-अलग सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे। प्रथम लिफाफा समस्त निविदा सहपत्रों एवं द्वितीय लिफाफा प्राइज बिड का होना चाहिए। एक ही लिफाफे में प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जाएगी। सहपत्रों का चेक लिस्ट भी प्रस्तुत करें। प्रथम लिफाफा क्रय समिति द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ही द्वितीय लिफाफा प्राइज बीड खोला जावेगा।
- निविदा प्रारूप एवं निविदा की शर्तें तथा उपकरण/सामग्री/फर्निचर की सूची निविदा प्रकाशन दिनांक से निविदा प्रारूप के साथ दिनांक **08.03.2019** को दोपहर **5.00** बजे तक शासकीय कार्य दिवस में कार्यालय से निविदा फार्म रु. 500/- **District Mineral Fund CMHO Jashpurnagar** के नाम पर बैंक ड्राफ्ट देने पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
- निविदा फार्म कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जशपुर (छ.ग.) के कार्यालय से दिनांक-17.02.2020 से दिनांक-08.03.2020 तक **District Mineral Fund CMHO Jashpurnagar** के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक का 500/(पांच सौ रु. मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रदाय कर प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा खुलने के समय निविदा फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं तो इसके लिए निविदाकर्ता फर्म का अथॉरिटी लेटर होना आवश्यक है।
- उपकरण/सामग्री/फर्निचर के लिए निर्माता कंपनी का **WHOGMP/ आई.एस.ओ/आई.एस.आई.** प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- निविदा के साथ उपकरण/सामग्री/फर्निचर के लिए धरोहर राशि रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक का बना हुआ जो District Mineral Fund CMHO Jashpurnagar के नाम से देय हो। सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर शेष को राशि वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा अवधि 1 वर्ष तक जमा रखा जावेगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।



● कय की शर्तः—

- अ. पिछले वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 का वाणिज्यिक कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है इस आशय का वाणिज्यिक कर समाशोधन प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आयकर रिटर्न वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- ब. उपकरण/सामग्री/फर्निचर इत्यादि जिला-जशपुर (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) में प्रदाय करने की होगी। ट्रांसपोर्ट व्यय (फ्रेड पेड) निविदाकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट व्यय की लोडिंग, अनलोडिंग, एफ.ओ.आर. डेस्टीनेसन के लिए शामिल होगा।
- स. उपकरण/सामग्री/फर्निचर का दर न्यूनतम पाये जाने के उपरांत नमूना क्रय समिति के अवलोकन हेतु मंगाया जा सकता है। क्रय समिति के अवलोकन में न्यूनतम दर (L1) उपकरण/सामग्री/फर्निचर स्पेशीफिकेशन गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में L2/L3 से उपकरण/सामग्री/फर्निचर लिए जा सकने का निर्णय क्रय समिति ले सकेगी।
- द. क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा सभी उपकरण/सामग्री/फर्निचर निरीक्षण की शर्तों पर स्वीकार की जावेगी। उपकरण/सामग्री/फर्निचर का चयन क्रय समिति के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जावेगा। उपकरण/सामग्री/फर्निचर की गुणवत्ता का परीक्षण तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जावेगा। तकनीकी विशेषज्ञों के परीक्षण में गुणवत्ता युक्त उपकरण/सामग्री/फर्निचर न होने की स्थिति में क्रय शून्य किया जा सकेगा।
- इ. निविदादाता को अपने फर्म का टीन नम्बर, जीएसटी नंबर एवं पेन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- फ. निविदा में मंगाई गई उपकरण/सामग्री/फर्निचर में प्री डिलिवरी इन्स्पेक्सन रिपोर्ट अनिवार्य है। उपकरण/सामग्री/फर्निचर की गारंटी/वारंटी period का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। इस हेतु गारंटी/वारंटी सर्टिफिकेट भी प्रदाय किया जाना आवश्यक है। उपकरण/सामग्री/फर्निचर का इन्स्टालेशन कंपनी/डीलर के आथराईज इंजीनियर द्वारा किया जावेगा। इन्स्टालेशन उपरांत रिपोर्ट प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।
- य. उपकरण/सामग्री/फर्निचर के एक वर्ष की न्यूनतम गारंटी/वारंटी का होना आवश्यक है।
- निविदा दर में सभी प्रकार के कर जैसे— (वैट टैक्स/केन्द्रीय कर/जी.एस.टी.) इत्यादि का उल्लेख पृथक से किया जाना अनिवार्य है। सफल निविदाकर्ता को सामग्री आपूर्ति के पश्चात् बिल में सामग्री राशि अलग से तथा देय कर की राशि अलग-अलग स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा जिससे की देय कर की राशि वाणिज्य कर विभाग के लेखा शीर्ष में जमा किया जावेगा तथा संबंधित फर्म द्वारा चालान मांग किए जाने पर चालान की प्रति उपलब्ध कराई जावेगी।
 - न्यूनतम दर संलग्न सूची अनुक्रम में ही पूर्तिकर एवं हस्ताक्षरकर लेटर पेड में देना होगा। इस कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये सूची के क्रम अनुसार ही दर अंकित किया जावे अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
 - निविदा दर कम्प्युटर द्वारा मुद्रित होना चाहिए।
 - निविदादाता द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित फर्म का निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।
 - निविदा में उपकरण/सामग्री की दर राज्य या केन्द्र शासन के द्वारा निर्धारित दर एवं अधिकतम खुदरा मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - निविदा दर में उपकरण/सामग्री/फर्निचर के मेक, माडल, कंपनी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।



कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला—जशपुर, (छ.ग.)

(dpmu.jas@gmail.com, cmohealth@gmail.com, ddojashpur@gmail.com)

Ph No 07763223375, Fax No- 07763220654



- निविदा दाता द्वारा फर्म/कंपनी का विगत 03 वित्तीय वर्ष का टर्नओवर प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सर्टिफाइड कर प्रदाय करना होगा। फर्म/कंपनी का वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में प्रति वर्ष न्यूनतम टर्नओवर 50 लाख (पचास लाख रुपये मात्र) होना आवश्यक है।
 - सामग्री/उपकरण की प्रदायगी आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर प्रदाय करना होगा। विशेष कठिनाईयों में संबंधित अधिकारी को सूचना देने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है परंतु किसी भी परिस्थिति में यह अवधि पांच सप्ताह से अधिक की नहीं होगी।
 - आदेशित सामग्री/उपकरण निर्धारित अवधि के अंदर आपूर्ति नहीं की जाती है तो 2 प्रतिशत पेनाल्टी चार्ज की जावेगी।
 - व्यवस्थित पैकिंग तथा पहुँच तक की संपूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होगी। टूट-फूट तथा ट्रांसपोर्ट के दौरान कमी आने की संपूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होगी। विलंब से रसीद प्राप्त होने पर लगाने वाले डेमरेज चार्ज प्रदायकर्ता के बिल से वसूल की जावेगी।
 - दर भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार की जावेगी। विदेशी मुद्रा की दर निरस्त कर दी जावेगी।
 - किसी भी निविदा को स्वीकार करना अथवा बिना किसी कारण सूचना के निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार जिला स्तरीय क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
 - उपकरण/सामग्री/फर्निचर का एक ही दर अंकित किया जावे। प्रदाय टेडर फार्म से अलग उपकरण/सामग्री/फर्निचर का नाम जोड़ने पर निविदा दर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 - खुली निविदा में प्राप्त एकल दर को भी जिला क्रय समिति द्वारा मान्य किया जा सकता है।
 - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला जशपुर होगा।
- संलग्न:—** सामग्री/फर्निचर/उपकरण की सूची।

निविदा के उपरोक्त शर्तें एवं नियम अक्षरशः स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर प्रदायकर्ता
(फर्म का नाम एवं सील)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला—जशपुर(छ.ग.)